

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक: प. 1 (01)/एम.ई/ग्रुप-1/2013

जयपुर, दिनांक: 21/6/17

आदेश

राजस्थान चिकित्सा सेवा (कॉलेज शाखा) नियम, 1962 के नियम 24 बीबी के उपनियम (5) के अन्तर्गत **न्यूरोसर्जरी** विशिष्टता के चिकित्सक शिक्षक को पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु गठित डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की दिनांक 25.01.2013 को आयोजित बैठक की अनुशंसा में डॉ० बी०एस० दत्ता, सह आचार्य न्यूरोसर्जरी के प्रकरण में रिव्यू करने की लिये डीएसीपी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिनांक 15.06.2017 को आयोजित की गई।


कमेटी की अनुशंसा पर डॉ० बी० एस० दत्ता, सह आचार्य, न्यूरोसर्जरी को दिनांक 1.4.2012 से आचार्य के पद पर तथा दिनांक 1.4.2016 से वरिष्ठ आचार्य के पद पर एतद्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

आदेश से


(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन), निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा, जयपुर।
6. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान। **अजमेर।**
7. रक्षित पत्रावली।


(महेश व्यास)
सहायक शासन सचिव